न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **209/2019** दायर दिनाँक **05.09.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. असिन खां पुत्र पन्ने खां जाति देशवाली निवासी सिपाहियों की ढाणी खुनखुना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. कमरदी खां पुत्र जफरू खां 2. जमाल खां पुत्र गुलाब खां 3. सिकन्दर खां पुत्र नानू खां 4. अजीत खां पुत्र नानू खां 5. हलीमा बेवा नानू खां 6. बतुल बानों पुत्री पन्ने खां 7. आसिया बेगम पुत्री पन्ने खां 8. बाली पुत्री पन्ने खां 9. भंवरू खां पुत्र नाथु खां 10. सरदार खां पुत्र नाथु खां 11. रोशन खां पुत्र नाथु खां 12. बाबू खां पुत्र नाथु खां 13. कापिया पत्नी मुंशी खां 14. पन्ने खां पुत्र दुले खां समस्त जाति देशवाली निवासीगण सिपाहियों की ढाणी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 15. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री इस्लामुदीन, वकील, वादी।
2. श्री होलेश पुरी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 व 05 ता 14 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **13.08.2021**

वाके सरहद खुनखुना में खेत खसरा सं0 229 रकबा 74 बीघा 03 बिस्वा, मौजा आगुन्ता के खसरा सं0 457 रकबा 49 बीघा 05 भूमि के (नये खसरा सं0 1007 रकबा 07.97 हैक्टर) भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 11.10.2019 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 540 दिनाँक 02.08.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित [illegible] प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवार[illegible] करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिका[illegible] द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक 540 दिनांक [illegible].2021 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

—:: आदेश ::—

दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद खुनखुना में खेत खसरा सं0 229 रकबा 74 बीघा 03 बिस्वा, मौजा आगुन्ता के खसरा सं0 457 रकबा 49 बीघा 05 भूमि के (नये खसरा सं0 1007 रकबा 07.97 हैक्टर) भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 540 दिनाँक 02.08.2021 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 540 दिनाँक 02.08.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **13.08.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **209/2019** दायर दिनाँक **05.09.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. असिन खां पुत्र पन्ने खां जाति देशवाली निवासी सिपाहियों की ढाणी खुनखुना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कमरदी खां पुत्र जफरू खां 2. जमाल खां पुत्र गुलाब खां 3. सिकन्दर खां पुत्र नानू खां 4. अजीत खां पुत्र नानू खां 5. हलीमा बेवा नानू खां 6. बतुल बानों पुत्री पन्ने खां 7. आसिया बेगम पुत्री पन्ने खां 8. बाली पुत्री पन्ने खां 9. भंवरू खां पुत्र नाथु खां 10.सरदार खां पुत्र नाथु खां 11. रोशन खां पुत्र नाथु खां 12. बाबू खां पुत्र नाथु खां 13. कापिया पत्नी मुंशी खां 14. पन्ने खां पुत्र दुले खां समस्त जाति देशवाली निवासीगण सिपाहियों की ढाणी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 15. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक [illegible].2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री इस्लामुदीन, वकील, वादी व श्री होलेश पुरी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 व 05 ता 14 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद खुनखुना में खेत खसरा सं0 229 रकबा 74 बीघा 03 बिस्वा, मौजा आगुन्ता के खसरा सं0 457 रकबा 49 बीघा 05 भूमि के (नये खसरा सं0 1007 रकबा 07.97 हैक्टर) भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 540 दिनाँक 02.08.2021 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 540 दिनाँक 02.08.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.....................–............. ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **13.08.2021** को स... में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner